उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-1
संख्या-32/यू0ओ0-201ए /26-1-2014-4(22)/2014
लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

श्री सोबरन सिंह यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा, द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित शासकीय धनराशि रू0 68,14,281/- श्री विपिन कुमार पुत्र श्री भारत बाबू बी0काम0 द्वितीय वर्ष डा0तेज सिंह महाविघालय, ककरारी, इरादतनगर रोड, आगरा के बैंक आफ इण्डिया रोहता आगरा के खाता संख्या-726910110001281 में अनियमित एवं अनधिकृत रूप से भेजी गयी। शासन/निदेशालय, समाज कल्याण, एन0आई0सी0 द्वारा बरती गयी सतर्कता के कारण उक्त शासकीय वृहद धनराशि दुरूपयोग होने से बच गयी। इस गम्भीर वित्तीय अनुशासनहीनता एवं आपराधिक लापरवाही के दुष्कृत्य के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 में अंकित प्राविधानों के अंतर्गत श्री सोबरन सिंह यादव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा प्रकरण की जॉच हेतु अपर आयुक्त (प्रशासन), आगरा मण्डल, आगरा को पदनाम से जॉच अधिकारी नियुक्त करते है।

राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-32/यू0ओ0-201ए(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, आगरा।
4- कोषाधिकारी, आगरा।
5- अपर आयुक्त (प्रशासन), आगरा मण्डल, आगरा (जॉच अधिकारी)।
6- श्री सोबरन सिंह यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल/इंटरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in